

**लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर), बांसवाड़ा (राज.)**

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 15 / 2023
GCMS NO. : 2023 / 68

प्रार्थी / अपीलार्थी :-

श्री मांगीलाल वडेरी पिता अमृतलाल वडेरी
निवासी गरनावट तहसील घाटोल जिला बनाम
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी / रेस्पोंडेंट्स:-

उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) घाटोल

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :- 27-09-2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) घाटोल से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 02-08-2023 (पोस्टल ऑर्डर नं. 54 एच 563634) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) घाटोल द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 14-09-2023 को जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 27-09-2023 को अपीलार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रत्यर्थी ने पत्रांक 885 दिनांक 26-09-2023 एवं 869 दिनांक 18-09-2023 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की

गई सूचना का पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 02-08-2023 से



**जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)**


बिन्दु सं. 1 से 5 तक वांछित सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 867 दिनांक 15-09-2023 से स्वयं अपीलांत

को दिनांक 18-09-2023 को उपलब्ध करवा दी गई है। अपील अपीलांत निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) घाटोल की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। अपील अनुसार अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत दिनांक 02-08-2023 पर सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण यह अपील पेश किया जाना जाहिर किया जबकि उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) घाटोल के पत्रांक 867 दिनांक 15-09-2023 से स्वयं अपीलांत को बिन्दु सं. 1 से 5 तक की वांछित सूचना दिनांक 18-09-2023 को उपलब्ध करवा दी गई है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27-09-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)